

Form-1

**For Project Nonlinear Projects**

Government of India office at the District Collector Tehri Garhwal

No. 318/XXV/-ACCII (2021-22)

Dated 30-3-2022

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter no. 11-98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initial and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relation in respect of non linear projects it is certified that **0.20 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Officer, Nagar panchayat Gaja for Const. of Garage in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Gaja Tehsil.

**It is further certified that**

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.20 Hectares** of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub, Division level committee (s) and the district level committee (s) are enclosed as annexure 30.1 to annexure 3.4,
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as the required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their consent to it,
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and preagricultural communities.

Date:-

Encl. As above.

Signature

(जिला मजिस्ट्रेट)

District Collector  
Tehri Garhwal

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT, Tehri Garhwal  
(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee  
constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers  
(recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of **Mrs. Iva Ashish Srivastava** I.A.S deputy commissioner, Tehri Garhwal on dated 30.03.2022 at Tehri in which application claiming rights in Mail area measuring **0.20 hect** for the construction of Garbage forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Narendra Nagar/ Gaja** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee. After scrutiny of the documents by the district level committee.

Place: New Tehri

Dated...30.03.2022...

  
Deputy Commissioner-cum-chairman  
District Level Committee



**It further certified that-Minutes of meeting of Construction of Nagar Panchayat Gaja (Length 50x40=2000sqm) regarding FRA is as following:**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF is issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2005 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.20** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Officer Nagar Panchayat Gaja for const of garbage Disposal center Gaja Tehsil.

S.N.	Description	Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire <b>0.20 hectares</b> of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.1 to .....annexure 30.4	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers. No objections certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of Motor Road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers.

प्रभागीय विकास  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग  
मुनि-को-देवी

*(Signature)*  
सत्येन्द्र एनोला  
सदस्य जिला पंचायत, गौसारी,  
सदस्य जिला योजना, समिति दि० ग०

*(Signature)*  
जिला समाज कल्याण अधिकारी  
टिहरी गढ़वाल

*(Signature)*  
ADDO (S.K.)  
N. Nagar.

*(Signature)*  
जिला मजिस्ट्रेट  
टिहरी गढ़वाल।



## प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र एवं विकास खण्ड नरेन्द्रनगर में नगर पंचायत गजा के नव सृजित नगर पंचायत गजा में कूड़ा निस्तारण हेतु उपयुक्त वनभूमि का प्रस्ताव। (लम्बाई 50x40=2000 वर्ग मीटर)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

खण्ड स्तरीय समिति, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर

नगर पंचायत परिक्षेत्रान्तर्गत गजा तहसील के अन्तर्गत कूड़ा निस्तारण हेतु (0.20 हे० आरक्षित वन भूमि, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे० एवं नापभूमि 0.00 अर्थात् कुल 0.20 हे० वन भूमि) का प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नरेन्द्रनगर) की दिनांक 13/11/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री के०के० मिश्रा अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री लक्ष्मीराज चौहान
- 2- श्री प्रभाश शर्मा
- 3- श्री सुदीपना
- 4- श्री मोर सिंह नेगी

उपजिलाधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी

सहायक समाज कल्याण अधिकारी

बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत

अधिकांसी अधिकारी

अध्यक्षार पंचायत गजा

सदस्य टिहरी गढ़वाल

समाज कल्याण अधि

नरेन्द्रनगर (टिहरी, गढ़वाल)

सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कूड़ा निस्तारण परियोजना हेतु 0.20 हे० वन भूमि का प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुषंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिकीरेती द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से नगर पंचायत गजा परिक्षेत्र के अन्तर्गत कूड़ा निस्तारण परियोजना हेतु 0.20 हे० वन भूमि का परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि का प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- नरेन्द्रनगर

जनपद- टिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।





उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति



## प्रारूप

आज दिनांक 13/9/17 को नगर पंचायत गजा में कूड़ा निस्तारण हेतु भू हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री लक्ष्मीराज चौहान	उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर	 अधिसूची अधिकारी नगर पंचायत गजा टिहरी गढ़वाल
2	श्री <u>प्रभाश शर्मा</u>	उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिकीरेती	 उप प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर उप गजा पंचायत मुनिकीरेती
3	श्री <u>Satendra Singh Rana</u>	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, नई टिहरी	 सहायक समाज कल्याण अधिकारी नरेन्द्रनगर (टिहरी-गढ़वाल)
4	श्री <u>जीत सिंह बेदी</u>	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत	 बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत विभाग सार्वजनिक टिहरी गढ़वाल (नरेन्द्रनगर) फोन नं०-249146



## प्रारूप-30.3

**परियोजना का नाम :-** जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र एवं विकास खण्ड नरेन्द्रनगर में नगर पंचायत गजा के नव सृजित नगर पंचायत गजा में कूड़ा निस्तारण हेतु उपयुक्त वनभूमि का प्रस्ताव। (लम्बाई 50x40=2000 वर्ग मीटर)

### वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र नगर पंचायत का नाम -गजा, जिला-टिहरी गढ़वाल अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कूड़ा निस्तारण हेतु (0.20 हे० आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि 0.00 हे०, वन पंचायत भूमि शून्य हे० एवं नामभूमि 0.00 हे०) अर्थात् कुल 0.20 हे० वन भूमि का प्रस्ताव विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।


उक्त प्रकरण के विषय में नगर पंचायत गजा द्वारा दिनांक 04/09/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पंचायत गजा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

*सुनीता फोर्से*  
नगर पंचायत सदस्य

*जति सिंह नेमा*  
नगर पंचायत अध्यक्ष  
नगर पंचायत गजा  
जिला-टिहरी गढ़वाल  
पिन कोड-249146





## प्रारूप-30.4

दिनांक 04/09/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत- गजा (गौंसारी)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
1	श्री अक्कानासिंह चौहान	मनका गौंसारी
2	श्री दिनेशसिंह खात्री	
3	श्री पुष्पाबासिंह खात्री	Poonam
4	श्री राजेन्द्रसिंह खात्री	
5	श्री रामेन्द्रसिंह खात्री	
6	श्री प्रभासिंह चौहान	
7	श्री सुमिलासिंह चौहान	
8	श्री उमेशसिंह चौहान	
9	श्री राजेन्द्रसिंह चौहान	
10	श्री पूजासिंह चौहान	
11	श्री कुपरासिंह चौहान	
12	श्री जगतसिंह चौहान	
13	श्री चन्दासिंह भोजी	
14	श्री सुहृदीसिंह भोजी	
15	श्री जीतासिंह चौहान	
16	श्री दीपकसिंह चौहान	
17	श्री राजवीरसिंह चौहान	
18	श्री रविचन्द्रसिंह चौहान	
19	श्री नैनसिंह चौहान	
20	श्री राजेन्द्रसिंह चौहान	
21	श्री प्रभु प्रधान महाराज	
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		